प्रपत्र–4

<u>परियोजना का नाम</u> :– **जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–XII में प्रस्तावित, सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संयुक्त निरीक्षण रिपोट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक . को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे/श्री केशव दत्त जोशी** राजस्व विभाग की ओर से **श्री सुरेश गिरी** प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री एस0 एम0 उपाध्याय** द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि शून्य है0, सिविल सोयम वन भूमि **3.389** है0, वन पंचायत भूमि **1.080** है0, एवं नाप भूमि **2.236** है0 एवं मलवा निस्तारण हेतु कुल सिविल सोयम भूमि **1.464** है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सैल गॉव व 526 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदत वन भूमि में **70** वृक्षों व नाप भूमि पर **12** वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलन है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो) मोटर मार्ग की चौडाई 9.00 मी0 में ली गयी है। एवं वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौडाई में की गयी है। ....

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/– (सुरेश गिरी) (राजस्व उपनिरीक्षक) राजस्व उप निरीक्षक तहसील एवं जिला पिथौरागढ़

ह0/– (वन दरोगा)

ह0/– (ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच) प्रधान ग्राम पंचायत सैल वि0ख0 मुनाकोट

ह0/– (अमीन)

ह0/– तहसीलदार तहसीलदार

ह0/– प्रभागीय वनाधिकारी

उप जिला अधिकारी पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ह0/– जिलाधिकारी जिलाधिकारी पिथौरागढ़

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, PMGSY, Irrigation Division PWD, Pithoragrah for diversion under FCA-1980) of 5.933 ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of **Salla to Sail-Roatgarh** Motor Road under PMGSY 7.450 kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 24-9-2014

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring 5.933 ha. ✓

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project Yes:

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- No.

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. Not required

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal , Hence, The Proposal is recommended acceptance.

Place : Pithoragarh
Date : 25-9-2014

Signature
Name (Dr. T. P. Singh)
Designation प्रभागीय वनाधिकारी
Office Seal पिथौरागढ़ वन प्रभाग

NB **x.** state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx. out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which in not applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required